

ब्याज दरों और जोखिम का उन्नयन करने के लिए दृष्टिकोण

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के उचित व्यवहार संहिता पर दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति एन.बी.एफ. सी. के निदेशक मंडल से यह अपेक्षित है कि ब्याज दरों और जोखिम के उन्नयन के प्रति अपने दृष्टिकोण को अपने ग्राहकों को प्रकट करें तथा अपनी सार्वजनिक वेबसाइट पर प्रकाशित करें।

ग्राहकों को ऋण प्रदान करने, जोखिम का उन्नयन और ब्याज दरों या पट्टे का किराया इत्यादि फैसले कंपनी द्वारा मामला-दर-मामला लिए जाते हैं जो कि एक या एक से अधिक कारकों पर निर्धारित होते हैं जिनमें शामिल हैं संपत्ति का प्रकार जिसका वित्त पोषण किया जा रहा है और उसका इरादा अंतिम उपयोग, ग्राहक प्रोफाइल और पुनर्भुगतान क्षमता, पिछले भुगतान इतिहास और ट्रेक रिकॉर्ड, नकदी प्रवाह और अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता, उपलब्ध प्रतिभूतियां, क्रेडिट वृद्धि, निहित ऋण और डिफॉल्ट जोखिम, फंड की लागत, किसी भी उपलब्ध वित्तीय निभाव, ब्याज सन्निडी या छूट, ऑपरेटिंग / प्रशासनीय लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम, ऋण / क्रेडिट की अवधि तथा शर्तें, ग्राहक की भौगोलिक स्थिति, कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति इत्यादि। ग्राहक आदानों तथा किये गए जांच और सत्यापन के आधार पर एवं अन्य स्रोतों से या स्वतंत्र तीसरे पक्ष से जैसे की क्रेडिट ब्यूरो कंपनी इत्यादि से उपरोक्त जानकारी, कंपनी द्वारा जुटाई जाएगी।

प्रत्येक मामले में, ग्राहक से वसूले जाने वाली सालाना ब्याज दर / पट्टे का किराया, ग्राहकों को दी जाने वाली क्रेडिट वृद्धि की हस्ताक्षरित प्रति / संबंधित दस्तावेज की प्रति के माध्यम से बताया जाएगा। प्रबंधन, मामला-दर-मामला ब्याज दर / पट्टे का किराया निर्धारित करने का निर्णय ले सकती है तथा ब्याज दर / पट्टे का किराया प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तित किये जा सकते हैं। नतीजतन, यह संभव है कि एक ही समय पर दो ग्राहकों द्वारा लिए गए समान उत्पाद की ब्याज दर / पट्टे का किराया तथा अवधि / शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं।

उपलब्ध वित्तीय उत्पादों और उपस्थित वित्तीय सेवा प्रदाताओं के विकल्प तथा युग्मित कंपनी के चुने क्षेत्रों के बाजार में प्रतिस्पर्धी दबाव, कंपनी द्वारा ग्राहकों से अत्यधिक दर से लिए जाने वाले ब्याज / पट्टे के किराये के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

जल्दी अद्यतन : यदि यह दस्तावेज, नीचे निर्धारित अगली समीक्षा की तारीख से पहले संशोधित किया जाता है तो इस दस्तावेज़ का एक अद्यतन संस्करण कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

दिनांक:	१६ सितम्बर २०२१
बोर्ड की मंजूरी:	१६ सितम्बर २०२१
अगली समीक्षा दिनांक:	१६ सितम्बर २०२३
दस्तावेज़ मालिक:	अनुपालन

Registered Office

De Lage Landen Financial Services India Pvt. Ltd.

CIN: U65900MH2011FTC221903

20/F, Peninsula Business Park, Tower A

Senapati Bapat Marg, Lower Parel

Mumbai 400 013

India

Telephone +91 22 2482 3199

www.dllgroup.com

DLL (De Lage Landen) has offices in more than 30 countries throughout Europe, North America, South America, Australia and Asia. The company is part of the Rabobank Group.